

## समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 23.12.2013 को आयोजित जिला स्तरीय  
पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र०	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि एम०जे०सी० बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव बनाम राज्य में अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, इस मामले की संचिका अनुमोदन हेतु भेजी गयी है। इस मामले में भी शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० त्रिवेणी मुखिया बनाम राज्य, जो पी०डी०एस० डीलर से संबंधित है, में तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदनार्थ भेजी गई है। इस मामले में भी शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० मो० इसरारूल हक बनाम राज्य, जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित मामला है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, सदर से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस वाद का तथ्य विवरणी आज तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० महेश कुमार मंडल बनाम राज्य जो चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित है, में इस सप्ताह में तथ्य विवरणी तैयार करवाते हुये कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० महरानी अधिरानी काम सुन्दरी बनाम राज्य सरकार, जो श्यामा मंदिर न्यास समिति के संबंधित है, के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी तैयार कर लिया गया है तथा आज ही इसे अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जायगा। इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश उन्हें दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० सीता देवी बनाम राज्य के मामले की सुनवाई 15.01.14 को निर्धारित है। इसके पूर्व याचिकाकर्ता को पूरा भुगतान करना है। यह मामला प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हायाघाट से संबंधित है। सेवा अवधि विस्तार के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में महालेखाकार, बिहार से आवश्यक पत्राचार कर निर्देश प्राप्त करने का निदेश स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य के मामले की सुनवाई दिनांक 8.1.14 को निर्धारित है। इस मामले में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से आवश्यक पत्राचार करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० परमेश्वर लाल दास बनाम राज्य सरकार का मामला पंचायत सचिव के सेवांत लाभ भुगतान से संबंधित है। इस मामले में भुगतान की कार्रवाई हो चुकी है। संशोधित तथ्य विवरणी तैयार करवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० गुड्डू बाबा बनाम राज्य में अगली सुनवाई 06 जनवरी को निर्धारित है। इस बीच डी०एम०सी०एच० परिसर के अवशेष अतिक्रमण को हटाने तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र समर्पित करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दिया गया।</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, सदर / जिला पंचायत राज पदाधिकारी</p>

